

न्यायालय चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरिद्वार।

एस0टी0 सं0— 288/2014

कम्प्यूटर संख्या 289/2014

सरकार बनाम राशिद उर्फ छोटा।

21.08.2023

पत्रावली पेश हुयी। अभियुक्त रिहान की हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र 155ख स्वीकृत। शेष अभियुक्तगण गैर हाजिर।

अतः अभियुक्त शादाब को जिला कारागार मेरठ से तलब किया जाये। अभियुक्त राशिद को जिला कारागार मुजफ्फरनगर से तलब किया जाये।

अभियुक्त नोशी तथा आसिफ के विरुद्ध पुनः एन0बी0डब्लू0 जारी हो। अभियुक्त नोशी के जामिनान को नोटिस तथा आसिफ के जामिनान को कारण बताओ नोटिस प्रारूप 48 दिनांक 04.09.2023 के लिये जारी हो। पत्रावली अत्यधिक पुरानी है। कार्यालय अविलम्ब अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

(आर0के0 श्रीवास्तव)

चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश

हरिद्वार।